



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL TO YOU SINCE 1911"



शाखा कार्यालय: पिपरिया

Branch: PIPARIYA

पता: ग्राम-पिपरिया, जिला होशंगवाड, म.प्र. 461775,

22 091-7024115071

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 30 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति,

स्व. श्री बलराम शर्मा
स्व. परमआनंद शर्मा के माध्यम से
(कानूनी वारिस -
1. श्रीमती अमीता शर्मा
पत्नी स्व. श्री बलराम शर्मा
2. श्री आनंद शर्मा
पुत्र स्व. श्री बलराम शर्मा
तथा अन्य ज्ञात / अज्ञात कानूनी वारिस)
3. श्री रघुनाथ सिंह चौहान पुत्र मोहन सिंह चौहान
राजीव गांधी वार्ड, पिपरिया जिला नर्मदापुरम, म.प्र. , 461775

विषय: : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- . श्री बलराम शर्मा स्व. परमआनंद शर्मा के माध्यम से (कानूनी वारिस -1. श्रीमती अमीता शर्मा पत्नी स्व. श्री बलराम शर्मा 2. श्री आनंद शर्मा पुत्र स्व. श्री बलराम शर्मा तथा अन्य ज्ञात / अज्ञात कानूनी वारिस) 3. श्री रघुनाथ सिंह चौहान 4. मोहन सिंह चौहान ऋण खाता क्रमांक- 3586044507- OD Top UP Facility Cent Home, 3960894527 -Cent Home Floating upto 25L

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/ साझेदारगण/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 18.02.2025 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 09.07.2025 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 16.10.2026 (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक) को किया जाना है। नीलामी सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में किया जाएगा।

एतद्वारा आपको 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

स्थावर संपत्ति का विवरण:

क्र	शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति- दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	संपत्ति के स्वामी का नाम	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार
1	पिपरिया	श्री बलराम शर्मा स्व. परमआनंद शर्मा के माध्यम से (कानूनी वारिस - 1. श्रीमती अमीता शर्मा पत्नी स्व. श्री बलराम शर्मा 2. श्री आनंद शर्मा पुत्र स्व. श्री बलराम शर्मा तथा अन्य ज्ञात / अज्ञात कानूनी वारिस) 3. श्री रघुनाथ सिंह चौहान पुत्र मोहन सिंह चौहान	दिनांक 18.02.2025 को देय राशि- रु. 11,54,578.34 /- + देय व्याज एवं अन्य खर्च (मांग नोटिस से)	श्री बलराम शर्मा स्व. परमआनंद शर्मा के माध्यम से (कानूनी वारिस -1. श्रीमती अमीता शर्मा पत्नी स्व. श्री बलराम शर्मा 2. श्री आनंद शर्मा पुत्र स्व. श्री बलराम शर्मा तथा अन्य ज्ञात / अज्ञात कानूनी वारिस)	PH-20, खसरा न. 384/8 - हथवास, पिपरिया, जिला नर्मदापुरम, PIN - 461775 क्षेत्रफल - 750 वर्गफुट जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर में - ओमकर का प्लाट, दक्षिण में - विक्रेता का अन्य प्लाट, पूर्व में - सड़क, पश्चिम में - अग्रवाल की ज़मीन

स्थान: पिपरिया
तिथि: 28.09.2026

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

